DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये संस्पती कर की सूचना।

Memo No.: 136998301117 Date : 30-11-2017

ਪੰਜਾਰੀ :1 2016-2017

श्री/श्रीमती/स्श्री RASHMI PRIYA W/O DR.SHASHI KANT PRASAD,

मोहल्ला KOLA KUSMA SHYAM VIHAR COLONY NEAR BALAJEE PETROL PUMP, BALIAPUR ROAD DHANBAD , 9470 DHANBAD , 826001

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं. - 0230002237000M0 वार्ड सं. 23 हुआ है, आपके स्व. निर्धारण घोषण आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रु. निर्धारित किया गया है ।

इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

क्रम सं.	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	88.00
2.	जल कर	0.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	बिजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
	कुल राशि (प्रति तिमाही)	88.00



Rashmi Briya,
To be signed by the Applicant

नोट:

- 1, कर निर्धारण की सूची, DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION Website, www.iharkhandsuda.net पर प्रदेशित है।
- 2. नियमावली कड़िका 11.4 के आलोक में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होज के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा। हिदायत दी जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचमा लगा कर निगम को सूचित करे तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पायें।
- 3. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पति कर का भगतान त्रैमासिक देय होगा
- 4. यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण घृति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियातय दी जाएगी।
- 5. किसी देय यृति को निर्दिष्ट समयावधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दूर से साधारण व्याज देय होगा।
- 6. यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण -सह-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच यथा समय निगम करा सकती है एवं तथ्य गलत पाए जाने पर नियम कडीका 13.2 के अनुसार निर्धारित शास्ति (Fine) एवं अंतर राशि देय होगा।
- 7. DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION द्वारा संग्रहित इस सम्पति कर इन इसरती/शंची को कोई कानूनी हैसियत पदान नहीं करता है। अपने मालिको / दखलकार को कोई कानूनी अधि। करता है।
- 8. अगर आपके नये होल्डिंग नंओ का आधिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विशिष्ट संरचनाओं की श्रेणी के अन्दर्गत माना जायेगा ।

NOTE: This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.